



5501

दूरभाष 2286709
2286710

नव चतुर्थ केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक: ५५६५/०५/७६/एफ/२०१५-१६

दिनांक: २९ फरवरी २०१६

सेवा में

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला नगरीय विकास अभियान

जनपद-आजगढ़।

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा ढूढ़ा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आईएफएसडीपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आन्तरित की जा चुकी है।

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)				
			बैंक	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि	
आजमगढ़/ शहर	अनु० ३७ पीएलए	465/ 348	इनाहावाद बैंक	50161111365	II SC Code M.L. A0212281	88.020	
		रोग		85.580	2.440	88.020	0.000
				85.580	2.440	88.020	88.020

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय आईएफएसडीपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की डीपीआर के साथ पहित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी रवीकृतियों में वर्णित मदों पर ही किया जाय जिनके लिये धनराशि रखीकृत की गयी है। परियोजना की डीपीआर में रवीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाय तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्ययवर्तन अनुमत्य न होगा। उक्ता परियोजना प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर 2016 तक पूर्ण की जानी है तदोपरान्त भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्ता धनराशि कार्यदायी संस्था को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व ढूढ़ा द्वारा एम०ओ०य० कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:-

- समस्त कार्य मूल्यवृद्धि की डीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण कराने होंगे।
- मार्च 2017 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- उपलब्ध रवीकृत धनराशि से समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।



५०/२

दस्तावेज़ 2286709
2286710

नव घोटा केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- ५- निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान संशोधित दरों पर दूड़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कायदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्भत किये गये हैं।
- ६- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट अभियान मुख्यालय को दूड़ा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
- ७- सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूएल०बी०) को करना होगा और उक्त का प्रगाण पत्र सूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

भवया,
(लला प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निर्माणाधीन को सूचनार्थ प्रेषित।

१. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
२. परियोजना निर्देशक, यूपी०पी०सी० दूड़ा इकाई-सम्बन्धित जनपद।
३. परियोजना अधिकारी-सूडा
४. कम्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लला प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक